संख्या-46/2026/I/1273303/2026/71-1002/69/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 19 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत के अंतर्गत 04 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश की धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से हस्तांरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/पी0एफ0एम0एस0/2025-26/565, दिनांक 18.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग अनुभाग) भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 13.02.2026 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना " Augmenting Nursing Education-Establishment of new College of Nursing (CoN)in co-location with Medical College" के अंतर्गत प्रदेश के 04 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-औरैया, पीलीभीत, कानपुर देहात एवं फतेहपुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू0 16.00 करोड़ (केन्द्रांश) (प्रति नर्सिंग कालेज रू0 4.00 करोड़) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना " Augmenting Nursing Education-Establishment of new College of Nursing (CoN)in co-location with Medical College" के अंतर्गत **04 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-** औरैया, पीलीभीत, कानपुर देहात एवं फतेहपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-01-28- राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्त शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार **कुल रू0 25.4566 लाख (केन्द्रांश रू0 15.2739 करोड़ व राज्यांश रू0 10.1827 करोड़) (रू0 पच्चीस करोड़ पैंतालिस लाख छाछठ**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हजार मात्र) की धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम स्वीकृत किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू0 करोड़ में)

क्र0	ए0एस0एम0सी0 का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि (शकेन्द्रां)	स्वीकृत लागत के सापेक्ष		अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि
			देय अवशेष केन्द्रांश	देय समतुल्य राज्यांश	
1	औरैया	4.00	3.9139	2.6093	6.5232
2	पीलीभीत	4.00	3.5802	2.3868	5.9670
3	कानपुर देहात	4.00	3.9962	2.6641	6.6603
4	फतेहपुर	4.00	3.7836	2.5225	6.3061
योग-		**16.00**	**15.2739**	**10.1827**	**25.4566**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. प्रायोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,45,66,000 (रुपये पच्चीस करोड़ पैंतालीस लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शीर्षक 4210031050128 राजकीय मेडिकल कालेज / स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के. रा.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के एफआईएनआरएमएस सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-405/दस-2025-26 , दिनांक 19 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग अनुभाग) भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 13.02.2026 के सदंर्भ में।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, औरया, पीलीभीत, कानपुर देहात एवं फतेहपुर।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको/सी0एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in